(वाद संख्या–415/18)

24.02.2021

परिवादी, लक्ष्मी देवी, अनुपस्थित हैं।

संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी लक्ष्मी देवी के साथ उसके घर में दिनांक 18.10.2017 को रात्रि में 07:00 बजे पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी जिलान्तर्गत कुंडवाचैनपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष अभय कुमार व चौकीदार व पुलिस बल के द्वारा मार–पीट करने व तोड़–फोड़ करने से संबंधित है। इस क्रम में पुलिसकर्मियों द्वारा परिवादी के देवर देवेन्द्र कुमार व छोटी ननद के साथ भी अभद्र व्यवहार भी किया गया बताया जा रहा है।

उक्त के संबंध में पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सिकरहना, ढ़ाका के जांच प्रतिवेदन को अनुलग्नित कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। अपने विस्तृत जांच प्रतिवेदन में सिकरहना, ढ़ाका के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का कथन है कि स्थल पर किसी ने भी पुलिसकर्मियों द्वारा परिवादी व उसके परिवार के लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करने से संबंधित आरोप का समर्थन नहीं किया। जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के पति संजीव कुमार, तीन आपराधिक मामले का आरोपपत्रित अभियुक्त हैं तथा उसका मधु सिंह नामक व्यक्ति से जमीनी विवाद है। इसी विवाद के आलोक में परिवादी द्वारा मधु सिंह के भाईयों व संबंधित थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष, अभय कुमार के विरूद्ध राज्य आयोग को दिये गये परिवाद–पत्र में उल्लिखित घटना से संबंधित एक परिवाद संख्या–378/2017 भी दाखिल किया गया है जो न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है।

अब, जबकि प्रसंगाधीन मामले के समरूप परिवादी द्वारा एक परिवाद–पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था जो न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया तो ऐसी परिस्थिति में पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर राज्य आयोग के स्तर पर संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को आज पारित आदेश व पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के प्रतिवेदन (पृ0–40–38/प0) की प्रति संलग्न कर सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक